भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/09/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 20 मार्च, 2026

जांच प्रारंभ अधिसूचना

मामला सं. सीवीडी (ओआई) 01/2026

SETU ID - CVD/OI/001/2026

विषय: चीन जन.गण. तथा इंडोनेशिया से उत्पन्न अथवा वहाँ से निर्यातित मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क / सब्सिडीरोधी जांच।

फा. सं. 6/09/2026-डीजीटीआर: इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे "आवेदक" या "आईपीएमए" भी कहा गया है), ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रतिकारी शुल्क का अधिरोपण एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "सब्सिडीरोधी नियमावली" कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार, नामित प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. तथा इंडोनेशिया (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से उत्पन्न अथवा वहाँ से निर्यातित मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के संबंध में सब्सिडीकरण का आरोप लगाया गया है तथा उक्त संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडीरोधी जांच प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।

क. सब्सिडीकरण का आरोप

1. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातक, उन देशों की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई प्रतिकारी योग्य सब्सिडियों से लाभान्वित हुए हैं, जिसमें उन प्रांतों एवं नगरपालिकाओं की सरकारें भी सम्मिलित हैं जहाँ ये उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, तथा अन्य "सार्वजनिक निकाय" भी शामिल हैं।

आवेदक ने प्रासंगिक विधियों, नियमों एवं विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों एवं सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, तथा विभिन्न जांच प्राधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारणों पर भरोसा किया है, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों की जांच कर प्रतिकारी योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला है।

ख. परामर्श

2. सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों पर समझौते (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, जांच प्रारंभ करने से पूर्व चीन जन.गण. तथा इंडोनेशिया की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श आयोजित किए गए। प्राप्त टिप्पणियों को अभिलेख पर लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कम से कम 51% श्वेत / वर्जिन लकड़ी के गूदे से निर्मित मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड, चाहे लेपित हो या अलेपित" है। विचाराधीन उत्पाद में फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड तथा लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड शामिल हैं, जिनका जीएसएम 140 से 450 के बीच है। वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित को बाहर रखा गया है:

i. 49% से अधिक पुनर्चक्रित/ब्राउन पल्प या फाइबर से निर्मित पेपरबोर्ड।
ii. लेपित/अलेपित सिगरेट बोर्ड।
iii. प्रिंटिंग प्रयोजनों हेतु आयातित दो-तरफा लेपित आर्टबोर्ड।
iv. चार या उससे अधिक परतों वाला पेपरबोर्ड, चाहे लेपित, अलेपित या प्लास्टिक, एल्युमिनियम या अन्य धातु के साथ लैमिनेटेड हो।

4. मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड का मुख्यतः उपयोग पैकेजिंग क्षेत्र में औषधि, एफएमसीजी उत्पादों, खाद्य एवं पेय पदार्थों, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उच्च गुणवत्ता वाले कॉस्मेटिक्स के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं का उपयोग ब्रोशर मुद्रण, पुस्तक आवरण तथा प्रकाशन उद्योग में भी किया जाता है। मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड (कप स्टॉक) का उपयोग डिस्पोजेबल कप बनाने में भी किया जाता है।

5. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के अध्याय 48 के अंतर्गत शीर्षकों 4805 और 4810 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद

एचएस कोड 4805 91 00, 4805 92 00, 4805 93 00, 4810 92 00, 4810 99 00 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, इसे अन्य कई एचएस कोडों के अंतर्गत भी आयात किया जाता है तथापि, इसे अन्य अनेक एचएस कोडों के अंतर्गत भी आयात किया जाता है, जिनमें 4802 2090, 4802 5790, 4804 1900, 4804 3900, 4804 4200, 4804 5200, 4804 5900, 4805 1900, 4810 1320, 4810 1330, 4810 1390, 4810 1430, 4810 1490, 4810 1910, 4810 1920, 4810 1990, 4810 2200, 4810 2900, 4810 3100, 4810 3200, 4810 3990, 4811 5110, 4811 5190, 4811 5910, 4811 5990, 4811 9099, 4819 1010, 4819 1090 तथा 4819 2090 सम्मिलित हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पीसीएन प्रस्तावित किए हैं:

क्र.सं.	**उत्पाद प्रकार**	**कोड**
1.	सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड	एसबीएस
2.	दो-तरफा लेपित बोर्ड / आर्टबोर्ड	एटीबी
3.	फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड	एफबीबी
4.	कप स्टॉक	सीयूएस
5.	लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड	एलपीबी
6.	अन्य	ओटीएच

7. इच्छुक पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा प्रस्तावित पीसीएन पर, यदि कोई हो, जांच प्रारंभ की सूचना के संप्रेषण के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

घ. समान वस्तु

8. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ, तकनीकी विनिर्देशों, भौतिक एवं रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु "समान वस्तु" माना गया है।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

9. आवेदन भारतीय कागज निर्माता संघ द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों (जिन्हें आगे "आवेदक घरेलू उत्पादक" कहा गया है) ने वर्तमान जांच प्रारंभ करने के लिए आवेदन के भाग के रूप में जानकारी प्रदान की है:

क. आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड (पूर्व में सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था)
ख. एमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड
ग. आईटीसी लिमिटेड
घ. जेके पेपर लिमिटेड
ङ. तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड

10. आवेदक घरेलू उत्पादकों के अतिरिक्त, एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड भारत में अन्य घरेलू उत्पादक हैं। दोनों उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया है।

11. आवेदक घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों से या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, आईटीसी लिमिटेड को छोड़कर किसी भी आवेदक घरेलू उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। आईटीसी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। आईटीसी लिमिटेड द्वारा किए गए आयात, आईटीसी लिमिटेड के उत्पादन, भारत में कुल आयात तथा भारत में कुल मांग की तुलना में नगण्य हैं।

12. उपर्युक्त के आलोक में तथा आवेदन की जांच के पश्चात, प्राधिकारी का मत है कि आवेदक घरेलू उत्पादक जांच अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख भाग प्रस्तुत करते हैं और नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं तथा आवेदन सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 6(2) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. संबद्ध देश

13. आवेदन चीन जन.गण. तथा इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडी प्राप्त आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

छ. जांच अवधि

14. वर्तमान जांच में जांच अवधि ("पीओआई") 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा पीओआई को सम्मिलित करेगी।

ज. कथित सब्सिडीकरण का आधार

15. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. तथा इंडोनेशिया की सरकारें विभिन्न प्रतिकारी योग्य सब्सिडी कार्यक्रम संचालित करती हैं। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों को अनुदान, ऋण, गारंटी, कर, निर्यात ऋण, वस्तुएँ एवं सेवाएँ अथवा इक्विटी निवेश के रूप में सब्सिडी प्राप्त हुई है, जो प्रतिकारी लाभ प्रदान करती है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होता है कि नीचे उल्लिखित कार्यक्रम सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों पर समझौते तथा सब्सिडीरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार प्रतिकारी योग्य सब्सिडी हैं।

16. निम्नलिखित सब्सिडी/कार्यक्रम चीन जन.गण. तथा इंडोनेशिया की सरकारों द्वारा प्रदान किए गए हैं तथा संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक एवं उत्पादक इनसे लाभान्वित हो सकते हैं:

I. चीन जन.गण. में सब्सिडी योजनाएँ

क. <u>अपर्याप्त प्रतिफल पर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम</u>

1. कार्यक्रम संख्या 1 - भूमि उपयोग अधिकारों का अपर्याप्त प्रतिफल पर प्रावधान
2. कार्यक्रम संख्या 2 - राज्य स्वामित्व वाले उपक्रमों के लिए भूमि उपयोग अधिकार
3. कार्यक्रम संख्या 3 - बिजली का अपर्याप्त प्रतिफल पर प्रावधान
4. कार्यक्रम संख्या 4 - जल का अपर्याप्त प्रतिफल पर प्रावधान
5. कार्यक्रम संख्या 5 - कोयले का अपर्याप्त प्रतिफल पर प्रावधान

6. कार्यक्रम संख्या 6 - कुछ औद्योगिक क्षेत्रों एवं एसईजेड में भूमि उपयोग अधिकारों का अपर्याप्त प्रतिफल पर प्रावधान
7. कार्यक्रम संख्या 7 - कॉस्टिक सोडा का अपर्याप्त प्रतिफल पर प्रावधान

ख. <u>कर एवं वैट प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम</u>

8. कार्यक्रम संख्या 8 - अनुसंधान एवं विकास (आरऔरडी) व्ययों की कटौती हेतु कर नीतियाँ
9. कार्यक्रम संख्या 9 - विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईई लाभों के पुनर्निवेश पर आयकर वापसी
10. कार्यक्रम संख्या 10 - उन्नत प्रौद्योगिकी एफआईई के लिए आयकर में कमी
11. कार्यक्रम संख्या 11 - एफआईई एवं विदेशी उद्यमों तथा कुछ घरेलू स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए वरीयतापूर्ण कर नीतियाँ, जो चीन में प्रतिष्ठान/स्थान रखते हैं तथा घरेलू उत्पादित उपकरणों की खरीद के साथ उत्पादन या व्यवसाय संचालन में संलग्न हैं
12. कार्यक्रम संख्या 12 - एफआईई के अनुसंधान एवं विकास हेतु वरीयतापूर्ण कर नीतियाँ
13. कार्यक्रम संख्या 13 - घरेलू उत्पादित उपकरणों की खरीद करने वाले एफआईई के लिए वैट वापसी
14. कार्यक्रम संख्या 14 - प्रौद्योगिकी या ज्ञान-गहन एफआईई के लिए कर में कमी
15. कार्यक्रम संख्या 15 - उच्च-प्रौद्योगिकी उपलब्धि वाणिज्यीकरण परियोजनाओं के लिए शंघाई नगरपालिका कर वापसी
16. कार्यक्रम संख्या 16 - उत्पादक एफआईई के लिए स्थानीय आयकर में छूट एवं/या कमी कार्यक्रम
17. कार्यक्रम संख्या 17 - ग्वांगडोंग एवं हैनान द्वीप के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट एवं/या कमी
18. कार्यक्रम संख्या 18 - शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए वरीयतापूर्ण कर नीतियाँ
19. कार्यक्रम संख्या 19 - आयातित उपकरणों पर शुल्क एवं वैट में छूट
20. कार्यक्रम संख्या 20 - उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए वरीयतापूर्ण कर नीतियाँ
21. कार्यक्रम संख्या 21 - पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें
22. कार्यक्रम संख्या 22 - कम लाभ पर संचालित कंपनियों के लिए उपलब्ध कर वरीयता
23. कार्यक्रम संख्या 23 - तिआनजिन पोर्ट फ्री ट्रेड ज़ोन में उद्यम आयकर दर में कमी
24. कार्यक्रम संख्या 24 - विशेष उपकरणों की खरीद से संबंधित कर क्रेडिट

25. कार्यक्रम संख्या 25 - व्यापक संसाधन उपयोग (विशेष कच्चे माल) में संलग्न उद्यमों के लिए आयकर रियायतें
26. कार्यक्रम संख्या 26 - विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यमों एवं विदेशी उद्यमों के लिए आयकर में कमी
27. कार्यक्रम संख्या 27 - विदेशी निवेशित निर्यात उद्यमों के लिए वरीयतापूर्ण कर नीतियाँ
28. कार्यक्रम संख्या 28 - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उद्यमों के लिए वरीयतापूर्ण आयकर नीति
29. कार्यक्रम संख्या 29 - पात्र निवासी उद्यमों के बीच लाभांश पर छूट
30. कार्यक्रम संख्या 30 - तिआनजिन बिनहाई न्यू एरिया एवं तिआनजिन आर्थिक एवं तकनीकी विकास क्षेत्र में प्रदान की गई सब्सिडियाँ

ग. <u>वरीयतापूर्ण ऋण एवं उधारी के रूप में कार्यक्रम</u>

31. कार्यक्रम संख्या 31 - वरीयतापूर्ण ऋण (नीतिगत ऋण सहित)
32. कार्यक्रम संख्या 32 - चीन के निर्यात-आयात बैंक से वरीयतापूर्ण निर्यात वित्तपोषण
33. कार्यक्रम संख्या 33 - राज्य स्वामित्व वाले उपक्रमों के लिए वरीयतापूर्ण ऋण
34. कार्यक्रम संख्या 34 - ऋण ब्याज भुगतान हेतु भत्ता
35. कार्यक्रम संख्या 35 - "वन बेल्ट वन रोड" पहल के अंतर्गत बाह्य निवेश करने वाली कंपनियों के लिए वरीयतापूर्ण वित्तपोषण

घ. <u>अनुदानों के रूप में कार्यक्रम</u>

36. कार्यक्रम संख्या 36 - प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम / प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के लिए प्रोत्साहन निधि
37. कार्यक्रम संख्या 37 - एंटी-डंपिंग जांचों के लिए अनुदान
38. कार्यक्रम संख्या 38 - अनुसंधान एवं विकास (R&D) सहायता अनुदान
39. कार्यक्रम संख्या 39 - निर्यात सहायता अनुदान
40. कार्यक्रम संख्या 40 - शेयर सूचीबद्ध करने हेतु अनुदान
41. कार्यक्रम संख्या 41 - प्रांतीय वित्तीय एवं तकनीकी नवाचार निधि के माध्यम से प्रदान किए गए अनुदान
42. कार्यक्रम संख्या 42 - निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
43. कार्यक्रम संख्या 43 - प्रमुख उद्योगों एवं नवाचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य विशेष निधि
44. कार्यक्रम संख्या 44 - सुपरस्टार उद्यम अनुदान
45. कार्यक्रम संख्या 45 - ग्वांगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाह्य विस्तार हेतु निधि

46. कार्यक्रम संख्या 46 - विदेशी व्यापार की स्थिर वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष निधि अनुदान

47. कार्यक्रम संख्या 47 - झोंगशान उद्यमों को घरेलू एवं विदेशी मेलों में भाग लेने हेतु भत्ता प्रबंधन की अंतरिम उपाय योजना

48. कार्यक्रम संख्या 48 - कोषागार बांड ऋण या अनुदान

49. कार्यक्रम संख्या 49 - फुयांग शहर एवं हांगझोउ शहर द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान

    क. RMB 10 मिलियन से अधिक कर देने वाले उद्यमों के लिए अनुदान
    ख. उप-ठेका सेवाओं के निर्यात कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान
    ग. उत्कृष्ट नवीन उत्पाद/प्रौद्योगिकी पुरस्कार के अंतर्गत अनुदान
    घ. प्रमुख उद्योगों के लिए फुयांग शहर सरकार द्वारा निवेश अनुदान
    ङ. प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र संचालित करने वाले उद्यमों के लिए अनुदान
    च. निर्यात क्रेडिट बीमा शुल्क पर स्थानीय एवं प्रांतीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति अनुदान
    छ. हांगझोउ प्रान्त एवं फुयांग शहर (झेजियांग एवं आन्हुई प्रांत) द्वारा आईपीओ अनुदान

50. कार्यक्रम संख्या 50 - हेबेई प्रांत द्वारा प्रदान किए गए अनुदान

    क. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान
    ख. शीजियाझुआंग शहर निर्यात पुरस्कार

51. कार्यक्रम संख्या 51 - शानडोंग प्रांत द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान

    क. प्रमुख उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना हेतु विशेष निधि
    ख. ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी के औद्योगीकरण हेतु पुरस्कार निधि
    ग. पर्यावरण संरक्षण उद्योग अनुसंधान एवं विकास निधि
    घ. प्रमुख उद्योगों के संवर्धन हेतु निर्माण निधि

52. कार्यक्रम संख्या 52 - उच्च-प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास निधि की सब्सिडी

ङ. <u>इक्विटी निवेश के रूप में कार्यक्रम</u>

53. कार्यक्रम संख्या 53 - ऋण-के-बदले इक्विटी स्वैप

54. कार्यक्रम संख्या 54 - इक्विटी निवेश

55. कार्यक्रम संख्या 55 - अप्रदत्त लाभांश

56. कार्यक्रम संख्या 56 - ऋण माफी
57. कार्यक्रम संख्या 57 - विलय या पुनर्गठन के अंतर्गत राज्य स्वामित्व वाले उपक्रमों के लिए डीड कर में छूट

च. <u>निर्यात वित्तपोषण एवं निर्यात क्रेडिट के रूप में कार्यक्रम</u>

58. कार्यक्रम संख्या 58 - निर्यात विक्रेता क्रेडिट
59. कार्यक्रम संख्या 59 - निर्यात खरीदार क्रेडिट
60. कार्यक्रम संख्या 60 - निर्यात क्रेडिट बीमा सब्सिडी
61. कार्यक्रम संख्या 61 - राज्य स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण
62. कार्यक्रम संख्या 62 - जीओसी द्वारा क्रेडिट गारंटी

II. इंडोनेशिया में सब्सिडी योजनाएँ

क. <u>अपर्याप्त प्रतिफल पर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम</u>

1. कार्यक्रम संख्या 1 - खड़े वृक्ष का अपर्याप्त प्रतिफल पर प्रावधान
2. कार्यक्रम संख्या 2 - लकड़ी के लठ्ठों के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध
3. कार्यक्रम संख्या 3 - भूमि का अपर्याप्त प्रतिफल पर प्रावधान
4. कार्यक्रम संख्या 4 - बिजली का अपर्याप्त प्रतिफल पर प्रावधान

ख. <u>कर एवं वैट प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम</u>

5. कार्यक्रम संख्या 5 - आयकर में कमी
6. कार्यक्रम संख्या 6 - आयात शुल्क में छूट
7. कार्यक्रम संख्या 7 - कच्चे माल पर आयात शुल्क में छूट
8. कार्यक्रम संख्या 8 - वैट में छूट
9. कार्यक्रम संख्या 9 - त्वरित मूल्यह्रास या परिशोधन
10. कार्यक्रम संख्या 10 - भूमि एवं भवन कर से राहत
11. कार्यक्रम संख्या 11 - कर अवकाश
12. कार्यक्रम संख्या 12 - कॉर्पोरेट आयकर में कटौती
13. कार्यक्रम संख्या 13 - लाभांश पर आयकर में कमी

ग. <u>विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रोत्साहनों का प्रावधान</u>

14. कार्यक्रम संख्या 14 - विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों के लिए कर में कमी

15. कार्यक्रम संख्या 15 - पूंजीगत वस्तुओं एवं उपकरणों पर आयात शुल्क के स्थगन की सुविधा
16. कार्यक्रम संख्या 16 - शुद्ध कर योग्य आय में कमी
17. कार्यक्रम संख्या 17 - वित्तीय मूल्यह्रास एवं परिशोधन कटौतियों में तेजी
18. कार्यक्रम संख्या 18 - हानियों को आगे ले जाने की अनुमति
19. कार्यक्रम संख्या 19 - भूमि कर में कटौती

घ. <u>निर्यात प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम</u>

20. कार्यक्रम संख्या 20 - इंडोनेशिया एक्सिम बैंक द्वारा निर्यात सुविधा हेतु लाभ
21. कार्यक्रम संख्या 21 - निर्यात क्रेडिट गारंटी
22. कार्यक्रम संख्या 22 - आयात शुल्क ड्रॉबैक

ङ. <u>वरीयतापूर्ण ऋण के रूप में कार्यक्रम</u>

23. कार्यक्रम संख्या 23 - मंदिरी बैंक द्वारा प्रदान किए गए वरीयतापूर्ण ऋण

17. उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, नामित प्राधिकारी किसी अन्य सब्सिडी की भी जांच करेगा, जो क्षति अवधि के दौरान अस्तित्व में पाई जाए या संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गई हो।

झ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का उपयोग घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु किया गया है। घरेलू उद्योग ने प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि संबद्ध देशों से कथित सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हुई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं उपभोग के सापेक्ष वृद्धि हुई है, तथा ये आयात घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य एवं विक्रय लागत से कम मूल्य पर हुए हैं। आयात की मात्रा में वृद्धि की दर देश में मांग की वृद्धि दर से काफी अधिक रही है। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी दावा किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा घटा है जबकि संबद्ध आयातों का हिस्सा बढ़ा है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है तथा उसे हानि, नकद हानि तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है। अतः आवेदक द्वारा

प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से कथित सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

ञ. जांच का प्रारंभ

19. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर यह संतुष्टि प्राप्त होने पर कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं निर्यात पर प्रतिकारी योग्य सब्सिडियों का अस्तित्व है, घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तथा कथित सब्सिडीकरण और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है, अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा जांच प्रारंभ करता है, ताकि कथित सब्सिडीकरण के अस्तित्व, उसकी मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा सब्सिडीरोधी शुल्क की वह राशि अनुशंसित की जा सके, जो यदि अधिरोपित की जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो।

ट. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना का प्रस्तुतिकरण

21. सभी इच्छुक पक्षकारों को SETU पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं का पंजीकरण करना आवश्यक है। इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त सभी संप्रेषण एवं प्रस्तुतियाँ उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित केस आईडी CVD/OI/001/2026 के अंतर्गत SETU पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में हो तथा आंकड़ा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।

22. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, तथा भारत में ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध वस्तुओं से संबंधित हैं, को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र एवं विधि में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, सब्सिडीरोधी नियमावली तथा

प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं में निर्धारित प्रपत्र एवं विधि में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी वर्तमान जांच से संबंधित अपनी प्रस्तुतियाँ इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र एवं विधि में प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी पक्षकार जो प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है, उसे उसी का अगोपनीय संस्करण अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

24. इच्छुक पक्षकारों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस जांच से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) तथा SETU पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) का नियमित रूप से अवलोकन करें। इच्छुक पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस संबद्ध जांच में होने वाले आगामी विकासों से अवगत रहने तथा समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं, जैसे कि प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक का कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएँ तथा अन्य संबंधित जानकारी के संबंध में अद्यतन रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करें।

ड. समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी SETU पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित केस आईडी CVD/OI/001/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), संबंधित निर्धारित कॉलमों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए, जिस तिथि को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय संस्करण प्राधिकारी द्वारा परिप्रेषित किया जाएगा अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त जानकारी अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

26. सभी इच्छुक पक्षकारों को एतद्द्वारा परामर्श दिया जाता है कि वे इस विषय में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर केवल SETU पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

27. पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली के दायरे पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों की अवधि, इस जांच प्रारंभ अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 25 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ समवर्ती रूप से चलेगी।

28. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी, किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से, पीयूसी तथा पीसीएन में ऐसा संशोधन करता है जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था या जो जांच प्रारंभ अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय-विस्तार ऐसे संशोधित पीयूसी एवं पीसीएन की अधिसूचना की तिथि से प्रदान किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा जहाँ जांच प्रारंभ के पश्चात पीयूसी एवं पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के उक्त समय-विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से परे अतिरिक्त समय-विस्तार के अनुरोध सामान्यतः विचारणीय नहीं होंगे, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, जो नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप हों।

29. समय-विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा SETU पोर्टल के माध्यम से इस अधिसूचना में निर्दिष्ट मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके पश्चात प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ढ. अगोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतिकरण

30. अन्य पक्षकार जो प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है अथवा गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, उसे सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुरूप, उसी जानकारी का अगोपनीय संस्करण एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियाँ अस्वीकृत की जा सकती हैं।

31. प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुतियाँ करने वाले पक्षकारों (जिसमें संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित प्रश्नावली के उत्तर भी शामिल हैं) को गोपनीय एवं अगोपनीय संस्करण पृथक

रूप से प्रस्तुत करने होंगे। यदि प्रस्तुति अनेक भागों में की जाती है, तो प्रत्येक भाग में एक अनुक्रमणिका तालिका प्रदान करना आवश्यक है, जिसमें सभी भागों/ईमेलों एवं संलग्न दस्तावेजों की सामग्री का विवरण हो। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी प्रस्तुतियों में पृष्ठ क्रमांक अंकित हों।

32. जहाँ मूल दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हों, वहाँ इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध है कि वे मूल दस्तावेजों के साथ उनका सही अनुवादित संस्करण भी प्रस्तुत करें।

33. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, तथा प्राधिकारी अन्य इच्छुक पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

34. गोपनीय संस्करण में वह समस्त जानकारी सम्मिलित होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा अन्य ऐसी जानकारी जिसे उस जानकारी का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के संबंध में, जिसे स्वभावतः गोपनीय माना गया है या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, जानकारी के प्रदाता को यह स्पष्ट करते हुए एक उचित कारण विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया जा सकता।

35. इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अगोपनीय संस्करण, गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को यथासंभव अनुक्रमित किया गया हो या (यदि अनुक्रमण संभव न हो) उसे रिक्त किया गया हो तथा गोपनीयता के दावे के अनुसार उसका सारांश प्रस्तुत किया गया हो।

36. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण सहित होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी की विषयवस्तु की युक्तिसंगत समझ प्राप्त हो सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह इंगित कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है, और इस संबंध में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के

अनुरूप पर्याप्त एवं युक्तिसंगत कारणों सहित एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे प्राधिकारी संतुष्ट हो सके।

37. इच्छुक पक्षकार अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों के संबंध में, दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के परिप्रेषण की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी प्रस्तुत जानकारी की प्रकृति का परीक्षण करने के उपरांत गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा जानकारी का प्रदाता उस जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटीकरण की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।

39. सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के संबंध में उचित कारण विवरण के बिना अथवा सार्थक अगोपनीय संस्करण के अभाव में की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं लिया जाएगा।

40. प्राधिकारी, यदि प्रस्तुत जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होता है तथा उसे स्वीकार करता है, तो ऐसी जानकारी को उस जानकारी के प्रदाता की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्ष को प्रकट नहीं करेगा।

ण. सार्वजनिक अभिलेख का निरीक्षण

41. किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सभी अगोपनीय प्रस्तुतियाँ, अन्य इच्छुक पक्षकारों के लिए SETU पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगी।

त. असहयोग

42. यदि कोई इच्छुक पक्षकार प्राधिकारी को आवश्यक जानकारी तक पहुँच प्रदान करने से इनकार करता है अथवा युक्तिसंगत अवधि के भीतर या इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और केंद्रीय सरकार को उपयुक्त अनुशंसाएँ कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी